



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2007/ज्येष्ठ 11, 1929

No. 254]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2007/JYAISTHA 11, 1929

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 मई, 2007

भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की
सरकार के बीच प्रत्यर्पण करार

सा.का.नि 409(अ).— भारत गणराज्य और फ्रांस गणराज्य के बीच 24 जनवरी, 2003 को पेरिस में प्रत्यर्पण करार संपन्न हुआ था और यह करार 1 अगस्त, 2005 से प्रभावी हुआ तथा इस करार में निम्नलिखित प्रावधान हैं ।

भारत गणराज्य की सरकार

और

फ्रांस गणराज्य की सरकार

जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकारी राज्य कहा गया है, दोनों राज्यों के बीच प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध कराने की इच्छा से, अपराध के दमन में और, विशेष रूप से, प्रत्यर्पण को सुसाध्य बनाने के लिए, नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं,

अनुच्छेद एक

प्रत्यर्पित करने की बाध्यता

1. संविदाकारी राज्य, इस करार में उल्लिखित उपबन्धों तथा शर्तों के अधीन, उन सभी व्यक्तियों को, एक-दूसरे को अभ्यर्पित करने का वचन देते हैं जिनके विरुद्ध अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किसी अपराध के लिए कार्यवाही की जा रही है

अथवा किसी कारावास की सजा के निष्पादन के लिए प्राधिकारियों को जिनकी तलाश है।

अनुच्छेद दो

प्रत्यर्पणीय अपराध

1. प्रत्यर्पण की मंजूरी दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अधीन कम से कम दो वर्ष के कारावास के दंडनीय अपराधों के मामले में प्रदान की जाएगी ।

2. जहां दोषसिद्धि हो जाने पर अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के कारण कोई कारावास की सजा सुनाई गई हो, वहां सजा धुगतने की शेष अवधि नौ महीने से कम नहीं होनी चाहिए ।

3. वित्तीय मामलों, सीमा-शुल्कों अथवा मुद्रा-विनिमय से संबंधित अपराधों के मामलों में भी, इस करार के उपबन्धों के अनुसार प्रत्यर्पण की मंजूरी प्रदान की जाएगी ।

4. यदि प्रत्यर्पण के अनुरोध में कई अलग-अलग ऐसे अपराध शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अधीन कारावास की सजा के दण्डनीय अपराध हों, परंतु जिनमें से कुछ दी जाने योग्य सजा की अवधि की शर्त को पूरा नहीं करते हों, तो प्रार्थित राज्य को बाद के अपराधों के लिए प्रत्यर्पण की मंजूरी प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

अनुच्छेद तीन

राजनैतिक अपराध

1. यदि जिस अपराध के लिए यह अनुरोध किया गया है, उसे अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा राजनैतिक अपराध अथवा ऐसे किसी

अपराध से जुड़ा अपराध माना जाता है तो प्रत्यर्पण प्रदान नहीं किया जाएगा।

अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के जीवन, शारीरिक अक्षुण्यता अथवा स्वतंत्रता के विरुद्ध हिंसक कृत्य अथवा संपत्ति के विरुद्ध कृत्य से संबंधित गंभीर अपराध, यदि यह अपराध किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के प्रति सामूहिक खतरा पैदा करता हो, को राजनैतिक अपराध अथवा राजनैतिक अपराध से जुड़े कोई अपराध अथवा राजनैतिक उद्देश्यों से दुष्प्रेरित अपराध को राजनैतिक अपराध नहीं मानने का निर्णय ले सकता है।

यह पूर्ववर्ती अपराधों को करने संबंधी किसी प्रयास के लिए अथवा ऐसे किसी व्यक्ति के एक सह-अपराधी के रूप में सहभागिता जो ऐसा कोई अपराध करता है या करने का प्रयास करता है, लागू होगा।

अपराध के स्वरूप का मूल्यांकन करते समय अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य अपराध के किसी विशेष रूप से गंभीर पहलू पर विचार करेगा जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- (क) क्या इससे किसी व्यक्ति की जान, शारीरिक अक्षुण्यता और स्वतंत्रता को खतरा पैदा होता है; अथवा
- (ख) क्या इससे वे व्यक्ति भी प्रभावित हुए जो इसके उद्देश्यों से संबंधित नहीं थे; अथवा
- (ग) क्या अपराध करने के लिए क्रूर और अनैतिक तरीके अपनाये गये।

2. यह अनुच्छेद किन्हीं उन बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगा जिनके प्रति संविदाकारी राज्य वचनबद्ध हो अथवा जिनके प्रति वे किसी बहुपक्षीय प्रकृति के किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अधीन वचनबद्ध हो सकते हों।

3. यदि प्रार्थित राज्य के पास यह विश्वास करने के ठोस आधार हों कि प्रत्यर्पण का अनुरोध किसी व्यक्ति पर उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रियता अथवा राजनीतिक विचारधारा के कारण मुकदमा चलाने अथवा दण्डित करने के उद्देश्य से किया गया है, से अथवा वांछित व्यक्ति की स्थिति पर इनमें से किसी भी कारण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो भी प्रत्यर्पण की मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद चार

सैन्य अपराध

सैन्य कानून के अन्तर्गत उन अपराधों के लिए प्रत्यर्पण को इस करार के प्रवर्तन से अलग रखा गया है जिन्हें साधारण फौजदारी कानून के अन्तर्गत अपराध नहीं माना जाता है।

अनुच्छेद पांच

राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

1. दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य अपने राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण नहीं करेगा। राष्ट्रियता उस अपराध के घटित होने के समय के अनुसार तय की जाएगी जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।

2. पैरा 1 के अनुकरण में, यदि प्रार्थित राज्य राष्ट्रियता के एक मात्र कारण को लेकर वांछित व्यक्ति का अभ्यर्पण नहीं करता है, तो वह अपने कानूनों और अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध के अनुसरण में उस मामले को अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष उस दशा में प्रस्तुत करेगा ताकि उपयुक्त समझौता हो जाने पर उस पर कार्यवाही की जा सके। यदि प्रार्थित राज्य अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग करता है तो ऐसे दस्तावेजों निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। अनुरोधकर्ता राज्य को अनुच्छेद नौ में उल्लिखित माध्यमों के जरिए उसके अनुरोध के परिणाम से अवगत कराया जाएगा।

अनुच्छेद छह

प्रत्यर्पण से इंकार करने के अन्य अनिवार्य आधार

प्रत्यर्पण की मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी :

1. यदि प्रार्थित राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वांछित व्यक्ति के उस अपराध अथवा अपराधों के संबंध में अंतिम निर्णय दे दिया गया हो जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।
2. यदि वांछित व्यक्ति कालातीत के कारण दोनों में से किसी भी राज्य के कानून के अनुसार अभियोजन अथवा दण्ड से उन्मुक्त हो गया हो,
3. यदि या तो अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में या फिर प्रार्थित राज्य के क्षेत्र में उस (व्यक्ति को) क्षमा प्रदान कर दी गई हो, बशर्ते कि, बाद के मामलों में, प्रार्थित राज्य अपनी राष्ट्रीय विधि के अनुसार मुकदमा चलाने के लिए सक्षम था।

अनुच्छेद सात

इंकार करने के अन्य वैकल्पिक आधार

निम्न दशा में प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है :

1. जब वह अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अनुसार पूर्ण अथवा आंशिक रूप से उसके क्षेत्र में किया गया अपराध माना जाता हो अथवा अपराध ऐसे स्थान पर किया गया हो जिसे वह अपना क्षेत्र मानता हो।
2. जब वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र के बाहर हुआ हो और प्रार्थित राज्य का कानून उसके क्षेत्र के बाहर हुए इसी प्रकार के अपराध के लिए कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देता हो।
3. यदि वांछित व्यक्ति पर किसी अपराध या अपराधों के मामले में जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है, प्रार्थित राज्य द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही हो अथवा यदि प्रार्थित राज्य के न्यायिक प्राधिकारियों ने, उस राज्य के कानून के अनुसार उस अपराध के

लिए फौजदारी कार्यवाही बन्द कर दी हो, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।

4. जब वांछित व्यक्ति पर उस अपराध या अपराधों के संबंध में जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, किसी तीसरे राज्य में मुकदमा चलाया गया है और उसे अन्तिम रूप से दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध कर दिया गया हो।
5. यदि अभ्यर्पण से, वांछित व्यक्ति के लिए, उसकी आयु अथवा स्वास्थ्य के आधार पर गंभीर परिणाम होने की आशंका हो।

अनुच्छेद आठ

मृत्युदंड

यदि अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है, अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अन्तर्गत मृत्युदंड दिए जाने योग्य हो और यदि ऐसे अपराध के संबंध में प्रार्थित राज्य के कानून के अनुसार मृत्युदंड नहीं दिया जाता हो अथवा सामान्यतः उसका पालन नहीं किया जाता हो, तो प्रत्यर्पण के लिए तब तक इन्कार किया जा सकता है जब तक अनुरोधकर्ता राज्य ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे देता जिसे प्रार्थित राज्य पर्याप्त समझता हो कि मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और यदि दिया भी गया तो उसका निष्पादन नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद नौ

अनुरोधों का प्रेषण और समर्थनकारी दस्तावेज

1. प्रत्यर्पण का अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा और इसे राजनयिक माध्यम से भेजा जाएगा।
2. अनुरोध के साथ निम्नलिखित समर्थनकारी दस्तावेज संलग्न होंगे :
 - (क) दोषसिद्धि तथा दण्डादेश अथवा गिरफ्तारी के वारंट अथवा इसी प्रकार का प्रभाव रखने वाले तथा अनुरोधकर्ता राज्य के कानून में निहित प्रक्रिया के अनुसरण में जारी किए गए किसी अन्य आदेश की मूल अथवा सत्य अधिप्रमाणित प्रति।
 - (ख) उन अपराधों का विवरण, जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अपराध किए जाने का स्थान और समय, उनका कानूनी वर्णन और व्यतीत समय के बारे में तथा उन उपबन्धों की प्रति सहित प्रासंगिक कानूनी उपबन्धों का संदर्भ।
 - (ग) कारावास की सजा किए जाने के प्रयोजन के लिए जिस समय व्यक्ति के प्रत्यर्पण की अपेक्षा की गई हो उस समय काटी जाने वाली सजा की शेष अवधि का विवरण।
 - (घ) पहचान करने में सहायक किसी भी अन्य जानकारी के साथ-साथ और यदि संभव हो उसके स्थान के बारे में, वांछित व्यक्ति के हुलिया का यथा संभव ठीक-ठीक वर्णन।

अनुच्छेद दस

अतिरिक्त साक्ष्य

यदि अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा दी गई सूचना प्रार्थित राज्य को मौजूदा करार के अनुसरण में निर्णय लेने में अपर्याप्त लगती है तब प्रार्थित राज्य अनिवार्य पूरक जानकारी देने के लिए अनुरोध कर सकता है और उसके प्राप्त होने की समय-सीमा निर्धारित कर सकता है। यह समय सीमा अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा किए गए अनुरोध में विधिवत तर्कसंगत कारण दिए जाने पर प्रार्थित राज्य द्वारा बढ़ायी जा सकती है।

अनुच्छेद ग्यारह

अनन्तिम गिरफ्तारी

1. तात्कालिकता के मामले में, अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी वांछित व्यक्ति की अनन्तिम गिरफ्तारी के लिए आवेदन कर सकते हैं प्रार्थित राज्य के सक्षम प्राधिकारी अपने कानून के अनुसार उस पर निर्णय लेंगे।

2. अन्तिम गिरफ्तारी के अनुरोध के मामले में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा, उसमें यह भी कहा जाएगा कि अनुच्छेद नौ के पैरा 2(क) में उल्लिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मौजूद है और यह कि उसका अभिप्राय प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजने का है। उसमें यह भी बताया जाएगा कि किस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है और इस तरह का अपराध कब और कहाँ घटित हुआ है और जहाँ तक संभव हो उसमें वांछित व्यक्ति का हुलिया स्पष्ट किया जाएगा।

3. अनन्तिम गिरफ्तारी का अनुरोध प्रार्थित राज्य के सक्षम प्राधिकारियों को या तो राजनयिक माध्यम से अथवा सीधे या डाक या तार या अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन इन्टरपोल या लिखित साक्ष्य के रूप में अथवा प्रार्थित राज्य द्वारा स्वीकृत किसी अन्य तरीके से भेजा जाएगा। अनुरोधकर्ता प्राधिकारी को उसके अनुरोध के परिणामों के बारे में अविलम्ब सूचित किया जाएगा।

4. गिरफ्तारी के 60 दिन की अवधि के भीतर, प्रार्थित राज्य को प्रत्यर्पण का अनुरोध तथा अनुच्छेद नौ में उल्लिखित दस्तावेज प्राप्त न होने पर, अनन्तिम गिरफ्तारी समाप्त मान ली जाएगी। अनन्तिम रिहाई की संभावना किसी भी समय वर्जित नहीं है, लेकिन प्रार्थित राज्य ऐसा कोई भी उपाय करेगा जो वह वांछित व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए आवश्यक समझता हो।

5. यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध बाद में प्राप्त होता हो, तो यह रिहाई पुनः गिरफ्तारी तथा प्रत्यर्पण को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुच्छेद बारह

कई राज्यों द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध

1. यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध उसी अपराधी का विभिन्न अपराधों के लिए एक से अधिक राज्यों से एक साथ किया जाता है, तो प्रार्थित राज्य सभी परिस्थितियों में, विशेष रूप से अपराधों की

सापेक्ष गम्भीरता और अपराध घटित होने के स्थान, अनुरोधों की क्रमशः तारीखें वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता तथा दूसरे राज्य को बाद में प्रत्यर्पण की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय लेगा।

2. यदि प्रार्थित राज्य अनुरोधकर्ता राज्यों में से किसी एक राज्य को प्रत्यर्पण करने तथा दूसरे अनुरोधकर्ता राज्य को पुनः प्रत्यर्पण करने का निर्णय एक ही समय में ले लेता है तो वह प्रत्येक अनुरोधकर्ता राज्य को उस पुनःप्रत्यर्पण के निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

अनुच्छेद तेरह

निर्णय

1. प्रार्थित राज्य प्रत्यर्पण के अनुरोध के संबंध में अपने निर्णय की सूचना राजनयिक माध्यमों के जरिए अनुरोधकर्ता राज्य को शीघ्र देगा।

2. प्रार्थित राज्य अनुरोधकर्ता राज्य को प्रत्यर्पण के अनुरोध को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से न मानने के कारण बताएगा।

अनुच्छेद चौदह

स्थगित अथवा सर्त अर्पण

1. प्रार्थित राज्य प्रत्यर्पण के अनुरोध पर अपना निर्णय लेने के बाद वांछित व्यक्ति के अर्पण को इस आधार पर स्थगित कर सकता है कि उसके विरुद्ध उक्त राज्य द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है अथवा यदि उसे पहले ही सिद्धदोष ठहराया जा चुका है, तो इस आधार पर कि उसे उस अपराध को छोड़कर जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, किसी अन्य अपराध के लिए उक्त राज्य के क्षेत्र में सजा भुगतनी पड़ सकती है।

2. प्रार्थित राज्य अर्पण को स्थगित करने के लिए बजाए दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति से तय किए जाने वाली शर्तों के अनुसार वांछित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य को अस्थायी रूप से अर्पित कर सकता है।

अनुच्छेद पन्द्रह

अपेक्षित व्यक्ति का समर्पण

1. यदि प्रत्यर्पण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया हो तब अनुरोधकर्ता राज्य को अर्पण का स्थान और तारीख तथा समयावधि के बारे में सूचित करना होगा जिसके लिए अर्पण को लेकर वांछित व्यक्ति को हिरासत में रखा गया था।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ तीन के उपबंधों के अधीन यदि वांछित व्यक्ति की सुपुर्दगी निर्धारित तारीख को नहीं ले ली जाती तो उसे 15 दिनों की अवधि हो जाने के बाद छोड़ा जा सकता है और 30 दिनों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उसे हर हाल में छोड़ दिया जाएगा। प्रार्थित राज्य उसे उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पित करने से इंकार कर सकता है।

3. यदि संबिदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य की परिस्थितियों के नियंत्रण से बाहर हों और ये परिस्थितियां अर्पण करने अथवा

प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति की सुपुर्दगी लेने में बाधक हों तो वह दूसरे राज्य को इसकी सूचना देगा। दोनों राज्य अर्पण के लिए किसी नई तारीख पर सहमत होंगे और इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-दो के उपबन्ध लागू होंगे।

अनुच्छेद सोलह

विशेषता के नियम

1. किसी व्यक्ति को जिसे प्रत्यर्पित किया गया है, उसके विरुद्ध उस अपराध को छोड़कर-जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया है उसके प्रत्यर्पण से पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए सजा देने अथवा नजरबन्दी के आदेश का अनुपालन करने के उद्देश्य से न तो मुकदमा चलाया जाएगा, न उसे सजा दी जाएगी अथवा न ही उसे हिरासत में लिया जाएगा और न ही किसी अन्य कारण को लेकर निम्नलिखित मामलों को छोड़कर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा:

(क) जब वह राज्य जिसने उसका अर्पण किया है, अपनी सहमति दे देता है, सहमति के अनुरोध को अनुच्छेद नौ में उल्लिखित दस्तावेजों और संबंधित अपराध के संबंध में प्रत्यर्पित व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी बयान के कानूनी रिकार्ड के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। सहमति तभी दी जाएगी जब वह अपराध जिसके लिए अनुरोध किया गया है, इस करार के प्रावधानों के अनुसरण में अपने-आप प्रत्यर्पण के अधीन हो,

(ख) जब उक्त व्यक्ति को उस राज्य के प्रदेश को छोड़ने का अवसर प्राप्त हो जिसके लिए उसका अर्पण किया गया है, ने अपने अन्तिम रिहाई के 45 दिनों के भीतर ऐसा नहीं किया हो, अथवा उसे छोड़कर उक्त प्रदेश को वापस चला आया हो।

2. तथापि, अनुरोधकर्ता राज्य उस व्यक्ति को अपने प्रदेश से हटाने के लिए कोई भी आवश्यक उपाय कर सकता है अथवा समयातीत के किसी कानूनी प्रभाव को रोकने के लिए व्यतिक्रम द्वारा कार्यवाही सहित अपने कानून के तहत कोई आवश्यक उपाय कर सकता है।

3. जब उस अपराध, जिसके लिए उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया गया है, के कानूनी वर्णन को बदल दिया जाता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा तभी चलाया जाएगा अथवा उसे सजा दी जाएगी जब वह अपराध अपने नए वर्णन के अधीन हो,

(क) इस करार के अनुसरण में प्रत्यर्पण के लिए कारक बन सके,

(ख) उन्हीं तथ्यों से संबंधित हो जिन पर प्रत्यर्पण की मंजूरी प्रदान की गई थी।

4. जब उस अपराध, जिसके लिए उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया गया है, के कानूनी वर्णन में संशोधन करने के परिणामस्वरूप दी जाने वाली सजा कम हो जाती है तो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-3 के उपबन्ध लागू होंगे।

अनुच्छेद सत्रह**किसी तीसरे राज्य को पुनः प्रत्यर्पण**

अनुच्छेद-सोलह के पैराग्राफ (ख) में दी गई व्यवस्था को छोड़कर अनुरोधकर्ता राज्य प्रार्थित राज्य की सहमति के बिना, उसे अभ्यर्पित तथा उसके अभ्यर्पण से पूर्व किए गए अपराधों के संबंध में उक्त तीसरे राज्य द्वारा अपेक्षित किसी व्यक्ति को तीसरे राज्य को अभ्यर्पित नहीं करेगा, प्रार्थित राज्य अनुच्छेद-9 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ-साथ कानूनी रिकार्ड को प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है जिसमें दावा किया गया वांछित व्यक्ति यह कहता है कि वह पुनःप्रत्यर्पण को स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है।

अनुच्छेद अठारह**आपराधिक कार्यवाहियों के परिणामों के संबंध में सूचना**

अनुरोधकर्ता राज्य प्रार्थित राज्य को उसके अनुरोध करने पर प्रत्यर्पित व्यक्ति के संबंध में चल रही आपराधिक कार्यवाहियों के परिणामों की सूचना देगा और वह अन्तिम तथा बाध्यकारी निर्णय की एक प्रति भी भेजेगा।

अनुच्छेद उन्नीस**सम्पत्ति का समर्पण**

1. अगर वांछित व्यक्ति का प्रत्यर्पण कर दिया जाता है तो अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध पर तथा प्रार्थित राज्य की विधि के अन्तर्गत निहित सीमा तक वे सभी वस्तुएं जो साक्ष्य का कार्य कर सकती हैं या जो अपराध के परिणामस्वरूप अधिगृहीत की गई हैं और जो बन्दी बनाए जाने के समय वांछित व्यक्ति के पास से पाई गईं, सौंप दी जाएंगी। ऐसी वस्तुओं का समर्पण बिना किसी विशेष अनुरोध के भी किया जाना सम्भव हो सकेगा और, यदि सम्भव हो तो ऐसी वस्तुओं का समर्पण वांछित व्यक्ति के समर्पण के समय भी किया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-एक में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति को उस अवस्था में सौंपा जा सकेगा यदि वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण पर सहमति हो जाने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने अथवा उसके फरार हो जाने के कारण उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जा सका।

3. जहाँ तक ऐसी वस्तुओं पर प्रार्थित राज्य या तीसरे पक्ष के अधिकारों के मानने का प्रश्न है, प्रार्थित राज्य ऐसी वस्तुओं के समर्पण के अनुरोध से मना कर सकता है अथवा अनुरोधकर्ता राज्य से इस आशय का संतोषजनक आश्वासन पाने पर, कि ऐसी वस्तुएं यथाशीघ्र प्रार्थित राज्य को लौटा दी जाएंगी, सशर्त समर्पण कर सकता है।

अनुच्छेद बीस**पारगमन**

1. राजनयिक माध्यम से प्राप्त हुए अनुरोध पर किसी भी संविदाकारी राज्य के क्षेत्र से होकर पारगमन प्रदान किया जाएगा बशर्त कि संबद्ध अपराध इस करार के अन्तर्गत प्रत्यर्पणीय अपराध हो।

2. प्रार्थित राज्य उस व्यक्ति के पारगमन के लिए मना कर सकता है यदि संबंधित व्यक्ति उस देश का राष्ट्रिक हो।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ चार में विहित प्रावधानों के अध्यक्षीन, अनुच्छेद नौ के पैराग्राफ दो में वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. अगर पारगमन में हवाई यातायात का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :-

(क) जब विमान अवतरण निर्धारित नहीं है, अनुरोधकर्ता राज्य उस राज्य को सूचित करेगा जिसके क्षेत्र से विमान गुजरेगा तथा यह प्रमाणित करेगा कि अनुच्छेद नौ के पैराग्राफ 2(क) में वर्णित दस्तावेज मौजूद हैं। अनिर्धारित रूप से उतरने की दशा में ऐसी सूचना अनुच्छेद ग्यारह के प्रावधानों के अनुसार अनन्तिम गिरफ्तारी के अनुरोध के रूप में प्रभावी होगी और अनुरोधकर्ता राज्य पारगमन के लिए औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

(ख) जब अवतरण निर्धारित हो, अनुरोधकर्ता राज्य पारगमन के लिए औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद इक्कीस**क्रियाविधि**

जब तक अन्यथा उपबोधित न हो, प्रत्यर्पण तथा अनन्तिम गिरफ्तारी की क्रियाविधि पूर्ण तथा प्रार्थित राज्य की विधि द्वारा शासित होगी।

अनुच्छेद बाइस**प्रयोग की जाने वाली भाषा**

इस करार के अन्तर्गत आवेदन के साथ पहुँचाए जाने वाले दस्तावेज अनुरोधकर्ता राज्य की भाषा में होंगे तथा उनके साथ उनका प्रार्थित राज्य की भाषा में अनुवाद भेजा जाएगा।

अनुच्छेद तेइस**व्यय**

1. वांछित व्यक्ति का सुपुर्द किए जाने तक प्रार्थित राज्य क्षेत्र में किया जाने वाला व्यय उसी राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

2. पारगमन के लिए प्रार्थित राज्य के क्षेत्र से अपेक्षित व्यक्ति के पारगमन पर होने वाला व्यय अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

अनुच्छेद चौबीस**अनुसमर्थन करना, प्रवृत्त होना, समाप्त होना**

1. प्रत्येक राज्य इस करार के प्रवर्तन के लिए अपने संविधान द्वारा अपेक्षित क्रियाविधियों को पूरा करने के बारे में दूसरे राज्य को सूचना देगा।

2. यह करार अंतिम सूचना प्राप्त होने की तारीख के बाद से दूसरे महीने के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा।

3. कोई भी राज्य दूसरे राज्य को इस करार को समाप्त करने की किसी भी समय राजनयिक माध्यमों के जरिए लिखित सूचना देकर

इसे समाप्त कर सकता है, उस मामले में ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के पश्चात् यह करार रद्द हो जाएगा।

यह करार पेरिस में सन् दो हजार तीन के जनवरी माह के चौबीसवें दिन हिन्दी, फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषाओं की तीन-तीन प्रतियों में सम्पन्न। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 12 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध अध्याय-II के अतिरिक्त, फ्रांस गणराज्य पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. टी 413/79/96-97]

पी. एम. मीणा, संयुक्त सचिव (कोंसली)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 31st May, 2007

Extradition Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the French Republic

G.S.R. 409(E).—Whereas the Extradition Agreement Treaty between the Republic of India and the French Republic was signed at Paris on 24th of January, 2003; and the Agreement has entered into force with effect from 1st August, 2005 and which Agreement provides as follows:

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND

THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC

Hereinafter designated as the Contracting States, desiring to provide for effective cooperation between the two States.

In the suppression of crime and, specifically, to facilitate extradition have agreed as follows:

ARTICLE 1

OBLIGATION TO EXTRADITE

1. The Contracting States undertake to surrender to each other, subject to the provisions and conditions laid down in this Agreement, all persons against whom the competent authorities of the Requesting State are proceeding for an offence or who are wanted by the said authorities for the carrying out of a sentence of imprisonment.

ARTICLE 2

EXTRADITABLE OFFENCES

1. Extradition shall be granted in respect of offences punishable, under the laws of the two Contracting States, by imprisonment of at least two years.

2. Where on conviction a prison sentence has been awarded on account of an extraditable offence in the territory of the requesting State, the duration of the penalty remaining to be served must amount at least to nine months.

3. Even regarding offences related to fiscal matters, customs duties or currency exchange, extradition shall be granted in accordance with the provisions of this Agreement.

4. If the request for extradition includes several separate offences each of which is punishable under the laws of the two Contracting States by a sentence of imprisonment, but some of which do not fulfil the condition with regard to the duration of the sentence which may be awarded, the Requested State shall also have the right to grant extradition for the latter offences.

ARTICLE 3

POLITICAL OFFENCES

1. Extradition shall not be granted if the offence in respect of which it is requested is regarded by the Requested State as a political offence, or as an offence connected with such an offence.

The Requested State may decide not to regard as a political offence or as an offence connected with political offence or as an offence inspired by political motives a serious offence involving an act of violence against the life, physical integrity or liberty of a person(s) or a serious offence involving an act against property if the act created a collective danger for a person(s).

The same shall apply to an attempt to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.

When evaluating the character of the offence, the Requested Party shall consider any particularly serious aspect of the offence, including:

- whether it created a danger to the life, physical integrity or liberty of a person(s); or
- whether it affected persons not connected to the motives behind it; or
- whether cruel or vicious means were used in the commission of the offence.

2. This article shall not affect any obligations which the Contracting States may have undertaken or may undertake under any other international convention of a multilateral character.

3. Extradition shall also not be granted if the Requested State has substantial grounds for believing that a request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of his or her race, religion, nationality or political opinion, or that the position of the person sought may be prejudiced for any of these reasons.

ARTICLE 4
MILITARY OFFENCES

Extradition for offences under military law which are not offences under ordinary criminal law is excluded from the application of this Agreement.

ARTICLE 5
EXTRADITION OF NATIONALS

1. Neither of the Contracting States shall extradite its own nationals. Nationality shall be determined as at the time of the commission of the offence for which extradition is requested.

2. If, pursuant to paragraph 1, the Requested State does not surrender the person claimed for the sole reason of nationality, it shall, in accordance with its laws and at the request of the Requesting State, submit the case to its competent authorities in order that proceedings may be taken if they are considered appropriate. If the Requested State requires additional documents, such documents shall be provided free of charge. The Requesting State shall be informed of the result of its request through the channels provided for in Article 9.

ARTICLE 6
OTHER COMPULSORY REFUSALS OF EXTRADITION

Extradition shall not be granted if :

1. final judgement has been passed by the competent authorities of the Requested State upon the person claimed in respect of the offence or offences for which extradition is requested;
2. the person claimed has become immune, by reason of lapse of time, from prosecution or punishment, according to the law of either State;
3. pardon has been granted either in the territory of the Requesting State or in the territory of the Requested State, provided, in the latter case, that the Requested State was competent to prosecute according to its domestic law.

ARTICLE 7
OPTIONAL REFUSALS

Extradition may be refused :

1. when the offence for which extradition is requested is regarded by the law of the Requested State as having been committed in whole or in part in its territory or in a place treated as its territory;
2. when the offence for which extradition is requested has been committed outside the territory of the Requesting State and the law of the Requested State does not allow prosecution for the same category of offence when committed outside its territory.
3. if the person claimed is being prosecuted by the Requested State in respect of the offence or

offences for which extradition is requested, or if the judicial authorities of the Requested State have discontinued, in accordance with the law of that State, the criminal proceedings for the offence for which extradition is requested;

4. when the person claimed has been tried and finally acquitted or convicted in a third State in respect of the offence or offences for which extradition is requested;
5. if the surrender is likely to have dire consequences for the person claimed, namely on the grounds of his age or health.

ARTICLE 8
CAPITAL PUNISHMENT

If the offence for which extradition is requested is punishable by death under the law of the Requesting State, and if in respect of such offence the death penalty is not provided for by the law of the Requested State or is not normally carried out, extradition may be refused unless the Requesting State gives such assurance as the Requested State considers sufficient that the death penalty will not be awarded or, if awarded, shall not be carried out.

ARTICLE 9
TRANSMISSION OF REQUESTS AND SUPPORTING DOCUMENTS

1. The request for extradition shall be in writing and shall be transmitted through the diplomatic channel.
2. The request shall be supported by :
 - (a) the original or a true certified copy of the conviction and sentence, or of the warrant of arrest or other order having the same effect and issued in accordance with the procedure laid down in the law of the Requesting State;
 - (b) a statement of the offences for which extradition is requested, the time and place of their commission, their legal description, and a reference to the relevant legal provisions, including those pertaining to lapse of time, as well as a copy of those provisions;
 - (c) particulars of the remaining duration of the sentence to be carried out when the person is claimed for the purpose of serving a sentence of imprisonment;
 - (d) as accurate a description as possible of the person claimed, together with any other information which will help to establish his identity and, if possible, his location.

ARTICLE 10
ADDITIONAL EVIDENCE

If the information communicated by the Requesting State is found to be insufficient to enable the Requested State to make a decision in pursuance of the present Agreement, the latter State shall request the necessary

supplementary information and may fix a time limit for the receipt thereof. This time limit may be extended by the Requested State upon a duly reasoned request being made by the Requesting State.

ARTICLE 11

PROVISIONAL ARREST

1. In case of urgency, the competent authorities of the Requesting State may apply for the provisional arrest of the person sought; the competent authorities of the Requested State shall take a decision on it in accordance with their law.

2. The request for provisional arrest shall include a brief statement of the facts of the case; it shall also state that one of the documents mentioned in Article 9, paragraph 2 (a), exists and that it is intended to send a request for extradition. It shall also state for what offence extradition will be requested and when and where such offence was committed and shall so far as possible give a description of the person sought.

3. A request for provisional arrest shall be sent to the competent authorities of the Requested State either through the diplomatic channel or direct by post or telegraph or through the International Criminal Police Organization (Interpol) or by any other means affording evidence in writing or accepted by the Requested State. The requesting authority shall be informed without delay of the result of its request.

4. Provisional arrest may be terminated if, within a period of 60 days after arrest, the Requested State has not received the request for extradition and the documents mentioned in Article 9. The possibility of provisional release at any time is not excluded, but the Requested State shall take any measures which it considers necessary to prevent the escape of the person sought.

5. Release shall not prejudice re-arrest and extradition if a request for extradition is received subsequently.

ARTICLE 12

REQUEST FOR EXTRADITION BY SEVERAL STATES

1. If extradition is requested concurrently by more than one State, either for the same offence or for different offences, the Requested State shall make its decision having regard to all the circumstances and especially the relative seriousness and place of commission of the offences, the respective dates of the request, the nationality of the person claimed and the possibility of subsequent extradition to another State.

2. If the Requested State reaches a decision at the same time on extradition to one of the Requesting States, and on re-extradition to another Requesting State, it shall communicate that decision on re-extradition to each of the Requesting States.

ARTICLE 13

DECISION

1. The Requested State shall promptly communicate to the Requesting State through diplomatic channels its decision on the request for extradition.

2. The Requested State shall convey to the Requesting State the reason for any complete or partial refusal of the request for extradition.

ARTICLE 14

POSTPONED OR CONDITIONAL SURRENDER

1. The Requested State may, after making its decision on the request for extradition, postpone the surrender of the person claimed in order that he may be proceeded against by that State or, if he has already been convicted, in order that he may serve his sentence in the territory of that State for an offence other than that for which extradition is requested.

2. The Requested State may, instead of postponing surrender, temporarily surrender the person claimed to the Requesting State in accordance with conditions to be determined by mutual agreement between both States.

ARTICLE 15

SURRENDER OF THE PERSON SOUGHT

1. If extradition is agreed to, the Requesting State shall be informed of the place and date of surrender and of the length of time for which the person claimed was detained with a view to surrender.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, if the person claimed has not been taken over on the appointed date, he may be released after the expiry of 15 days and shall in any case be released after the expiry of 30 days. The Requested State may refuse to extradite him for the same offence.

3. If circumstances beyond its control prevent one of the Contracting States from surrendering or taking over the person to be extradited, it shall notify the other State. The two States shall agree upon a new date for surrender and the provisions of paragraph 2 of this Article shall apply.

ARTICLE 16

RULE OF SPECIALITY

1. A person who has been extradited shall not be proceeded against, sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence or detention order for any offence committed prior to his surrender other than that for which he was extradited, nor shall he be for any other reason restricted in his personal freedom, except in the following cases :

- (a) when the State which surrendered him consents. A request for consent shall be submitted, accompanied by the documents mentioned in Article 9 and a legal record of any statement

made by the extradited person in respect of the offence concerned. Consent shall be given when the offence for which it is requested is itself subject to extradition in accordance with the provisions of this Agreement;

- (b) When that person, having had an opportunity to leave the territory of the State to which he has been surrendered, has not done so within 45 days of his final discharge, or has returned to that territory after leaving it.

2. The Requesting State may, however, take any measures necessary to remove the person from its territory, or any measures necessary under its law, including proceedings by default, to prevent any legal effects of lapse of time.

3. When the legal description of the offence for which a person has been extradited is altered this person shall only be proceeded against or sentenced if the offence under its new description :

- (a) can give rise to extradition pursuant to this Agreement;
- (b) relates to the same facts on which extradition was granted.

4. When the modification of the legal description of the offence for which a person has been extradited may result in a lessening of the sentence to be awarded, the provisions of paragraph 3 of this Article shall apply.

ARTICLE 17

RE-EXTRADITION TO A THIRD STATE

Except as provided for in Article 16, paragraph 1 (b), the Requesting State shall not, without the consent of the Requested State, surrender to a third State a person surrendered to it and sought by the said third State in respect of offences committed before his surrender. The Requested State may request the production of the documents mentioned in Article 9 as well as a legal record in which the person claimed states that he accepts or refuses re-extradition.

ARTICLE 18

INFORMATION ON THE RESULT OF THE CRIMINAL PROCEEDINGS

The Requesting State shall inform the Requested State, upon demand by the latter, of the outcome of the criminal proceedings being conducted in respect of the extradited person and send a copy of the final and binding decision.

ARTICLE 19

SURRENDER OF PROPERTY

1. Upon the request of the Requesting State and to the extent permitted under the laws of the Requested State,

all articles which may serve as evidence or which have been acquired as a result of an offence and which at the time of apprehension are found in the possession of the person sought shall be surrendered if extradition of the person sought is granted. Surrender of such articles shall be possible even without any special request and, if possible, at the same time as the person sought is surrendered.

2. The property specified in paragraph 1 of this Article shall be handed over even if extradition, having been agreed to, cannot be carried out owing to the death or escape of the person claimed.

3. Insofar as the rights of the Requested State or of third parties to the articles are to be respected, the Requested State may refuse surrender or condition surrender upon a satisfactory assurance from the Requesting State that the articles will be returned to the Requested State as soon as possible.

ARTICLE 20

TRANSIT

1. Transit through the territory of either of the Contracting States shall be granted upon request transmitted through the diplomatic channel, provided that the offence concerned is an extraditable offence under this Agreement.

2. The State requested to grant transit may refuse to comply when the person concerned is its national.

3. Subject to the provisions of paragraph 4 of this article, it shall be necessary to produce the documents mentioned in article 9, paragraph 2.

4. If air transport is used, the following provisions shall apply :

- (a) When no landing is scheduled, the Requesting State shall notify the State over whose territory the flight is to be made and shall certify that one of the documents mentioned in Article 9, paragraph 2 (a) exists. In the case of an unscheduled landing, such notification shall have the effect of a request for provisional arrest as provided for in Article 11 and the Requesting State shall submit a formal request for transit;
- (b) When a landing is scheduled, the Requesting State shall submit a formal request for transit.

ARTICLE 21

PROCEDURE

Except where this Agreement otherwise provides, the procedure with regard to extradition and provisional arrest shall be governed solely by the law of the Requested State.

2634 GI/07-3

ARTICLE 22**LANGUAGES TO BE USED**

The documents transmitted in application of this Agreement shall be in the language of the Requesting State and be accompanied by a translation in the language of the Requested State.

ARTICLE 23**EXPENSES**

1. Expenses incurred in the territory of the Requested State until the surrender of the person claimed are borne by that State.

2. Expenses incurred on the transit of a person claimed through the territory of the State requested to allow the transit, are borne by the Requesting State.

ARTICLE 24**RATIFICATION; ENTRY INTO FORCE;
DENUNCIATION**

1. Each of the States shall notify the other of the fulfilment of the procedures required by its constitution

for the entry into force of the present Agreement.

2. The present Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the last notification.

3. Either State may terminate the present Agreement at any time by giving to the other written notice of termination through diplomatic channels; in that case, termination shall take effect six months from the date of receipt of that notice.

Done at Paris on 24th of January 2003 in triplicate in Hindi, French and English languages, all three texts being equally authentic.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 12 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter II, shall apply to the French Republic with effect from the date of the publication of this notification.

[F. No. T. 413/79/96-97]

P. M. MEENA, Jt. Secy. (Consular)